पत्रांक– 5/4047 (महादलित) आ0–06/2015–16.../रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव।

फैक्स
ई–मेल

सेवा में,

समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।

पटना–15, दिनांक–...........................

विषय :– **मुख्य शीर्ष 4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101–भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) माँग संख्या–40 विपत्र कोड–पी04047007890101 के अन्तर्गत 5302–भू–अर्जन हेतु वित्तीय वर्ष–2015–16 में 11,00,000/–(ग्यारह लाख) रूपये मात्र राशि का आवंटन। (स्कीम कोड–REV-5528)**

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या–904 (8)/रा0 दिनांक–21.07.2015 एवं पीत पत्र सं0–301 (8) दिनांक–10.03.2016 द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि के आलोक में महादलित वासरहित परिवारों के लिए रैयती भूमि क्रय करने के लिए पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को कुल 11,00,000/–(ग्यारह लाख) रूपये मात्र आवंटित की जाती है।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।
3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–396/वि0 दिनांक–24.04.2015 के आलोक में किया जा रहा है।
4. वर्ष 2014–15 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजटीय उपबंध/आवंटन के संबंधित शीर्ष/विषयशीर्ष में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है।
5. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
6. राशि का उपयोग एतद् विषयक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की संकल्प संख्या–153(8) दिनांक–09.02.2015 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप किया जाएगा।
7. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के सातवी तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय साथ ही व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाए।
8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0

D:\Rajesh Data\m.k 2016\March-April\Sec-5\D2 10-03-2016.doc

ज्ञापांक–../रा0, पटना–15, दिनांक–...
प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–../रा0, पटना–15, दिनांक–...
प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, (बजट) बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा–8/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–..........74(S)........../रा0, पटना–15, दिनांक–......16/3/16......
प्रतिलिपि :– सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Email

16/3/16

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

Email